बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

।। आदेश ।।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत मो0 साजिद आलम (बिहार आपूर्ति सेवा), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मधुबन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–2141 दिनांक–28.08.2025 के आलोक में निरीक्षण अभियान के उपरान्त "Zero Office Day Inspection : Block-wise Discrepancy Report (29.08.2025 to 10.09.2025)" की समीक्षा के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिले के मधुबन प्रखंड अन्तर्गत आने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानों में चालू माह के लिए कुल–46 लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण नहीं किये जाने, 15 लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किये जाने एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के 67 स्टॉक में अन्तर संबंधित मामले संज्ञान में आने तथा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2366 दिनांक–12.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्रावधानों के तहत मो0 आलम को निलंबित किया गया। साथ ही, विभागीय पत्रांक–2379 दिनांक–12.09.2025 द्वारा मो0 आलम से स्पष्टीकरण / लिखित बचाव बयान की माँग की गई।

उक्त के क्रम में मो0 आलम द्वारा अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करते हुए स्वयं के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों का खंडन कर मुख्य रूप से अंकित किया गया कि प्रखंड मधुबन के पाँच पंचायतों सवनगिया, गरहिया, तालीमपुर, मधुबन उतरी और रुपनि में गोदाम द्वारा खाद्यान का उठाव निरीक्षण अभियान के तहत परख ऐप द्वारा निरीक्षण के बाद हुआ है। लगातार क्षेत्र भ्रमण एवं दूकान का भौतिक निरीक्षण करने के साथ–साथ लाभार्थियों के मध्य नियमित रूप से राशन वितरण सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पकड़ीदयाल द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को संबोधित सामान्य सूचना एवं निर्देश जारी किए गए हैं। विशेष जाँच अभियान के दौरान की गई पूछताछ में जब कुछ लाभार्थियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि उन्हें विक्रेताओं द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न प्रदान किया गया, तो उक्त सूचना मेरे द्वारा 'परख ऐप' के माध्यम से अनुज्ञप्ति पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी को प्रेषित की गई है। निरीक्षण के दौरान परख ऐप में भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक की गणना कर उसमें दर्ज करना अनिवार्य होता है। सामान्यतः एक बोरी अनाज का मानक वजन 50 किलो (0.5 क्विंटल) माना जाता है। तथापि, गोदाम से खाद्यान्न के उठाव के समय इस मानक का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है, क्योंकि बोरी का वजन 48–52 किलो तक होता है, जिसके परिणामस्वरूप बोरियों के वजन में असंगतता पाई जाती है। साथ ही, सटीक वजन करने हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है। निरीक्षण के दौरान परख ऐप में दर्ज स्टॉक की भौतिक गणना और मशीन में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा में जो अंतर परिलक्षित हुआ है, उसमे 17 मामलें ऐसे है जिनमे स्टॉक का अंतर 10 किलो से कम है। 9 मामलों में से 5 ऐसे हैं जिनमें स्टॉक में 50 क्विंटल से अधिक का अंतर पाया गया है और ये प्रभार ग्रहण करने के पूर्व के मामलें हैं। दिनांक 02.09.2025 से 09.09.2025 तक संचालित निरीक्षण अभियान के दौरान, इन सभी 67 मामलों की सूचना अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को दिया जा चुका है।

मो0 आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, समर्पित बचाव बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर से की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि यद्यपि लाभार्थियों के मध्य नियमित रूप से राशन वितरण सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर इनके द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को संबोधित सामान्य सूचना एवं निर्देश जारी किए गए हैं। तदापि अंकणीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का मूल उद्देश्य पात्र लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आपूर्ति निर्धारित मात्रा में ससमय किया जाना है, परन्तु इतने बड़े पैमाने पर लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न प्राप्त होना उक्त अधिनियम की मूल भावना के प्रतिकूल तथा खेदजनक है एवं यह तथ्य पर्यवेक्षकीय कार्य में शिथिलता को इंगित करता है। फलतः यह मात्र अंकित करना कि निर्धारित मात्रा से

कम खाद्यान्न के वितरण संबंधित अनियमितता की प्रविष्टि निरीक्षण के दौरान की जा चुकी है, से मो0 आलम अपने दायित्वों से विमुक्त नहीं हो सकते हैं। 67 विक्रेताओं के स्टॉक में अंतर पाये जाने के संबंध में इनका कहना है कि 17 मामलें ऐसे है जिनमे स्टॉक का अंतर 10 किलो से कम है, 12 मामलें जिनमे स्टॉक का अंतर 20 किलो से कम है एवं कुल 9 मामलें ही ऐसे हैं जिनमे स्टॉक का अंतर 5 क्विंटल या उससे अधिक है। उल्लेखनीय है कि इतने बड़े पैमाने पर स्टॉक में अन्तर पाया जाना जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की स्वेच्छाचारिता तथा उन पर नियंत्रण का अभाव दर्शाता है। स्टॉक में इतने बड़े पैमाने पर विचलन प्रदर्शित होना खाद्यान्न के कालाबाजारी की संभावना को बल प्रदान करता है। ऐसी स्थिति सम्यक् निरीक्षण के अभाव को दर्शाता है, जबकि आपूर्ति निरीक्षक का पदीय दायित्व जन वितरण प्रणाली दुकानों का सम्यक् रूप से निरीक्षण करना है। यदि इनके द्वारा सम्यक् रूप से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जाता तो संभवतः ऐसी स्थिति उत्पन्न ही न होती। इस प्रकार मो0 आलम द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य नहीं है। फलतः इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या–02 एवं 03 प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए मो0 आलम के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत उनकी तीन (03) वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 साजिद आलम (बिहार आपूर्ति सेवा), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मधुबन, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत उनकी तीन (03) वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित कर इन्हें निलंबन से मुक्त करते हुए प्रस्तुत प्रक्रम को समाप्त किया जाता है। मो0 आलम को निलंबन अवधि का अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

2/12/2025

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(निरीक्षण)–17 / 2025(खंड–III)– 3372 खाद्य, पटना / दिनांक– 02/12/2025

प्रतिलिपि–**1**. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण / उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / प्रशाखा पदाधिकारी–03 / आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुमंडल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण को निदेशित किया जाता है कि संसूचित दण्ड की प्रविष्टि मो0 आलम की सेवापुस्त में किया जाना सुनिश्चित करें।

3. मो0 साजिद आलम (बिहार आपूर्ति सेवा), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मधुबन, पूर्वी चम्पारण (निलंबन अवधि में मुख्यालय–उप निदेशक (खाद्य) का कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर), E-Mail ID : msalam119@gmail.com, Mob. No. 8169332231 को निदेशित किया जाता है कि निलंबन मुक्ति के पश्चात् खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

2/12/2025

सरकार के संयुक्त सचिव।